



नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

दूरभाष: 011-238027; 011-238027

फैक्स-01509-238027

क्रमांक: — एन0एस0सी0 /सर/ कृषि/ 35 / 2022-23—

दिनांक: —02.12.2022

बिडिंग सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों/जलाशयों को मछली पालने हेतु ई-निविदा नियम के अन्तर्गत 2 वर्ष 2023-24 व 2024-25 (दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक) की अवधि हेतु ठेके पर देने का प्रस्ताव है। ई-निविदाएं दिनांक 23.12.2022 को प्रातः 11.30 बजे फार्म मुख्यालय सरदारगढ़ में खुलेगी। विस्तृत जानकारी के लिये निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर तथा ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर देखी जा सकती है, जिस पर निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

सहायक महाप्रबंधक (उत्पादन)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	02.12.2022
Tender Document Download Start Date/Time	03.12.2022 11.00 AM
Tender Document Download End Date/Time	23.12.2022 11.00 AM
Date and time for submission of online bid	From 03.12.2022 11.00 AM 23.12.2022 11.00 AM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Sardargarh	23.12.2022 on 11:30 AM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 236.00 (Rs. 200+18% GST)
Emd (to be deposited online/RTGS/NEFT/DD)	Rs. 20000.00 per diggi.
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Sardargarh (Raj.) PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Regarding deposit of emd	If a bidder wants to participate in the tender for per diggi, he should deposit Rs.20000.00 per diggi in the farm account (A/c 34032829868 IFSC SBIN0007774). And bidder who wants to participate in the tender for all the diggi will have to pay Rs. 160000.00 through the portal as emd.
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Murlidhar AGM(P)- 7014398929.

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Copy of GST Registration	
Copy of Pan Card	
Copy of Aadhar Card	
Undertaking regarding non- blacklisting of his firm from any department.	
Terms & Conditions of fish catching duly signed Note : Each page of T&C should be signed by tenderer	

jk"Vh; cht fuxe fyfeVM

Wkkjr ljdkj dk l Fkk)

dknh; jkT; Qke] l jnkjx< ½kt-½

QkeZ ea i Ddh fMXxh ea eNyh ikyus o cpus ds fy, b&fufonk grq fu; e o 'krb

- केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित जलाशयों में मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 8 तक का 2 वर्ष की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक का ठेका निश्चित किया गया है जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार है।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई X चौड़ाई X गहराई	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 X 100 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 X 100 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 X 50 X 4.5 मीटर	02	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	100 X 50 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
5	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 X 100 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
6	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 X 250 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
7	पक्की डिग्गी	39 पी बी एन	100 X 150 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
8	पक्की डिग्गी	51 पी बी एन	125 X 125 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)

- प्रत्येक ठेके के लिये निर्धारित धरोहर राशि का डी0 डी0 जो *uškuy l hml dkW i kjšku fyfeVM l jnkjx< dsuke l s l jrx< देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। धरोहर राशि, कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
- धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT द्वारा जमा की गयी राशि निविदा में निश्चित धरोहर राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- मछली पालन का कार्य ठेका न01 से 8 तक की अवधि 2 वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक) के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का सम्बन्धित जलाशय/जलाशयों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
- ठेका न0 1 से 8 तक सफल बोलीदाता/निविदादाता की निविदा स्वीकृत होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस में तथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदादाताओं की अमानत राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
- सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
- सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैंक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
- ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते व मोबाइल नं0 सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक

आज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा।

12. डिग्गियों में मछली का बीज डालने, पालन-पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये जलाशयों/तलाबों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां, कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जायेंगी।
14. यदि मछली पकड़ने पर टैक्स/चूँगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/भुगतान ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा।
15. डिग्गियों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतयः डिग्गियों में संचयित पानी में से ऊपर से लगभग 11 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगा। शेष बचा हुआ पानी 4 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 4 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी व मछली पकड़ने का कार्य डिग्गी में पानी कम होने पर ही किया जायेगा।
16. ठेकेदार को ठेके पर दिये गये जलाशयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायलय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
17. मतस्य बीज संग्रहण, मछली पालन एवम पकड़ना, मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होंगे। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
18. किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
19. मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार को मतस्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा/बोलीदाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा/निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
28. रू.100/- के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर व पूर्ण पते के साथ देना होगा।
29. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे।

मैंने फार्म में मछली ठेके की ई-निविदा की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

स्थान.....

निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर
दिनांक.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
द्वारा: जति: केके।। जिकि।।
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

द्वारा: जति: केके।। जिकि।।

fufonk i i =

निविदा विज्ञापित क्रमांक सी.एस.एफ./सर./35/कृषि/2022-23

दिनांक

निविदा भेजने हेतु पता:- निदेशक (फार्म)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक:- 23.12.2022 स्थान:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञापित में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु टेका न0 1 से 8 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....
5. पैन नम्बर :-.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि).....
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रु.236/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

fufonk jkf'k i Lrko'W/sMj vkQj)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु टेका न0 1 से 8 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ढेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई X चौड़ाई X गहराई	जलाशयों की संख्या	ढेका अनुसार निविदा मुल्य प्रस्ताव (Tender Offer) (रूपयों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 X 100 X 4.5 मीटर	01	
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 X 100 X 4.5 मीटर	01	
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 X 50 X 4.5 मीटर	02	
4	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	100 X 50 X 4.5 मीटर	01	
5	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 X 100 X 4.5 मीटर	01	
6	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 X 250 X 4.5 मीटर	01	
7	पक्की डिग्गी	39 पी बी एन	100 X 150 X 4.5 मीटर	01	
8	पक्की डिग्गी	51 पी बी एन	125 X 125 X 4.5 मीटर	01	

/kjkgj jkf'k dk fooj.k&

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ढेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)
1			रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
2			रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
3			रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4			रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
5			रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
6			रु0 20,000 (रु0बीस हजार मात्र)
7			रु0 20,000 (रु0बीस हजार मात्र)
8			रु0 20,000 (रु0बीस हजार मात्र)

(mijkDr fMek.M MktV l yXu fd;s tk;")

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....
.....
.....
.....

मो0 न0.....